

२२.११.२५

अधिवक्ता उद्ययपक्ष उपर। अधिवक्ता
अपीलेंट को रेश्यो के सम्मन तलकात
पेश कले हेतु कई अवसर दिए जा
चुके हैं किन्तु आप्तिगत तक सम्मन
पेश नही किए हैं अतः उक्त अपील
अदम तकमील में खारिज की जाती है।
पत्रावली कैवल शुमार होकर नम्बर
से कम है।


राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली